मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 4 अगस्त, 2003 (श्रावण 13, 1925)

समय 10.30 बजे

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

(1) श्री केशव प्रसाद सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,

(2) परमहंस श्री रामचंद्र दास , राम जन्म भूमि न्यास के अध्यक्ष, तथा

(3) श्री बदरूद्दीन काजी उर्फ जॉनी वाकर, सुप्रसिद्ध हास्य फिल्म अभिनेता.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा-44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वित्तीय वर्ष 2002-2003) पटल पर रखेंगे.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को कई माह से वेतन न मिलने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री हिम्मत कोठारी, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शाजापुर जिले के मक्सी में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. वक्तव्य

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री, सहकारिता विभाग की गतिविधियों एवं नीति विषयक निर्णयों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, राज्य मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(4) श्री प्रेमनारायण ठाकुर, पंचायत एवं समाज कल्याण मंत्री, वर्ष 2003-2004 में पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उठाए गये लोकहितकारी कदमों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(5) श्री दीपक सक्सेना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित कार्यों पर वक्तव्य देंगे.

(6) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, वित्तीय वर्ष 2003-2004 में वाणिज्यिक कर क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(7) श्री के.पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, दिनांक 29 नवम्बर, 2002 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्रमांक 3536) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे..

(8) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, दिनांक 12 मार्च, 2003 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक 3865) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 25 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 27 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 28 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 29 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 30 सन् 2003) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(6) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 26 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय

निर्धारित समय
1 घन्टा
30 मि.
(शेष 1 घ.10मि.)

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैल रहे संक्रामक रोग एवं उनसे हो रही मौत से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा....(क्रमशः).

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल
दिनांक : 3 अगस्त, 2003